रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2000/भाद्र 22, 1922
No. 471] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2000/BHADRA 22, 1922

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2000

सा. का. नि. 716(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 418(अ), तारीख 10 मई, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 10 मई, 2000 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, ऐसी तारीख से पैन्तालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 11 मई, 2000 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार लिया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये 30 सितम्बर, 2000 को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के,—

(i) नियम 42 में,

(क) उपनियम (V) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"(V) खाद्य सामान्य नमक या आयोडीन युक्त नमक या लौह प्रबलित सामान्य नमक के, जिसमें अनुज्ञात प्रतिकेकन कर्मक है, प्रत्येक आद्यान या पैकेज पर निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात :—

खाद्य सामान्य नमक या आयोडीन युक्त नमक या लौह प्रबलित सामान्य नमक*
इनमें अनुज्ञात प्रतिकेकन कर्मक है।
*जो लागू न हो उसे काट दें ।

(ख) उप नियम (ययय) में खंड (11) का लोप किया जाएगा।

(ii) नियम 44ज का लोप किया जाएगा।

(iii) नियम 49 के उपनियम (10) में "आयोडीन युक्त नमक या लौह प्रबलित सामान्य नमक" शब्दों के स्थान पर, "खाद्य सामान्य नमक या आयोडीन युक्त नमक या लौह प्रबलित सामान्य नमक" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. पी-15014/2/2000-पीएच(खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पहले तारीख 12-9-1955 को का.नि.आ. 2105 के अधीन भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा.का.नि. 537(अ) तारीख 13-6-2000 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2000

G.S.R. 716(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by Sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), with the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), number G.S.R. 418(E), dated the 10th May, 2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th May, 2000 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette of India were made available to the public on 11th May, 2000;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

RULES

1 (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (5th Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on and from the 30th day of September, 2000.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955,—

(i) in rule 42—

(a) for sub-rule (V), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(V) Every container or package of edible common salt or iodised salt or iron fortified common salt containing permitted anti-caking agents shall bear the following label, namely :—

EDIBLE COMMON SALT OR IODISED SALT OR IRON FORTIFIED COMMON SALT*
CONTAINS PERMITTED ANTI-CAKING AGENT
*Strike out whichever is not applicable

(b) in sub-rule (ZZZ), clause (11) shall be omitted;

(ii) rule 44H shall be omitted;

(iii) in rule 49, in sub-rule (10), for the words, "Table iodised salt or table iron fortified common salt", the words "Edible Common salt or iodised salt or iron fortified common salt" shall be substituted

[F. No P-15014/2/2000-PH (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt Secy.

Foot Note :—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide No G.S.R 537(E), dated 13-6-2000.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054